न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)
मूल वाद सं– 20/20

1. कल्यानसिंह पुत्र पंचम सिंह जाति राजपूत निवासी दलेल का पुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर

--- वादी

बनाम

1. भूरी सिंह पुत्र पंचम सिंह जाति राजपूत निवासी दलेल का पुरा तहसील राजाखेडा
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र हरफूल जाति वघेला निवासी ग्राम जारह तहसील राजाखेडा
3. धारा पत्नी कल्यानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दलेल का पुरा तहसील राजाखेडा
4. पी.एन.बी. बैंक जरिये प्रबंधक राजाखेडा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा
6. उर्मिला पत्नी रामनिवास जाति राजपूत निवासी ग्राम दलेल का पुरा तहसील राजाखेडा

------ प्रतिवादीगण

दावाः– बंटवारा काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अधीन धारा 53,188 आर0टी0ए0

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री विमल कुमार शर्मा, वादी
2. विद्वान अधिवक्ता :– श्री प्रेमसिंह राघव, प्रतिवादी

निर्णय

मूल वाद सं. 20/20 दिनांक :– 13.08.2022

वादी ने यह वाद बटवारा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर विवादित आराजी स्थित ग्राम दलेल का पुरा, तहसील राजाखेड़ा ख0नं0 856 रकवा 0.16, 857 रकवा 0.17 , 874 रकवा 1.15, 935 रकवा 0.13, 946 रकवा 0.19, 1556/870 रकवा 0.14, कुल किता 6 कुल रकवा 5 बीघा 14 विस्वा, एवं आराजी ख0 नं0 863 रकवा 1.00, 864 रकवा 0.12, 865 रकवा 1.01, 933 रकवा 0.10, 934 रकवा 0.14, 947 रवका 0.10, 948 रकवा 1.03, 949 रकवा 0.12, 950 रकवा 0.19, 951 रकवा 0.08, 1518/1548 रकवा 0.02, कुल किता 11 कुल रकवा 7 बीघा 15 विस्वा है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगयात 3 एवं 6 संयुक्त रूप से काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में साज कर ली है तथा विवादित आारजी पर जोती बोयी फसल पर जो सबसे अच्छी है उसमें स्वयं हिस्सा लेना चाहते हैं एवं कमजोर फसल खडी फसल को वादी एवं उसकी पत्नी का हिस्सा देने पर आमादा है एवं ख0नं0 1518/1548 रकवा 0.02 गैर मुमकिन बाग में जिसमें प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/3 भाग है उस पर भी विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। जब प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपनी असलियत जाहिर की तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वादी के विभाजन प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा विवाद ज्यादा बढ गया तो प्रतिवादीगणों ने वाद ग्रस्त आराजी बेचान करने की धमकी दी तथा साथ ही क्रेताओं को स्वंय की मर्जी से काश्त विभाजन कर अच्छी भूमि सोंपने की बात करने लगे। वादपत्र तैयार करते समय प्रतिवादी संख्या 3 नहीं मौजूद नहीं होने से तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 3 के हित वादी के समान ही हैं। प्रतिवादी सं0 4 आराजी रहन होने से तथा प्रतिवादी सं0 5 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार प्रकरण हैं। दौराने वाद ख0नं0 943 के खातेदार वादी हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 हिस्सा 2/3 अपना सम्पूर्ण भाग विक्रय कर दिया है अतः इसके बाद वादी अपना बाद वापिस लेता है। अब वह विवादित नहीं है एवं दौराने बाद प्रतिवादी सं0 2 भूरीसिंह ने ख0नं0 1556/870 रकवा 0.14, 856 रकवा 0.16, एवं 857 रकवा 0.

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

17 अपना निहित हिस्सा सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 भाग प्रतिवादी सं0 6 को विक्रय कर दिया है। अतः उसके विरूद्व वादकरण उत्पन्न हो गया है। इसके विरूद्व भी अनुतोष चाहता है। दावा वादी मीट्स एण्ड वाद डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का खाता संयुक्त रखते हुए शेष प्रतिवादीगणों का खाता पृथक पृथक एवं लगान पृथक पृथक किया जावें तदनुसार नक्सा तरमीम कर प्रति सं0 1 व 2 एवं 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 6 न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 को तर्क किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई जबाबदेही नहीं की। वादी का वाद दिनांक 07.03.2022 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया था कि वाई मीट्स एण्ड वाउण्डस बटवार करने के आदेश दिये जाकर प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार राजाखेडा से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारानों के हिस्से के अनुसार अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी आराजीयात के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये थे। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपने पत्रांक एल.आर./22/1837 दिनांक 24.05.2022 को कुर्रेजात प्रस्ताव दिये गये हैं जिन पर अभिभाषक को सुना गया। उनके द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा दावा मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात प्रस्ताव पर गौर किया। हम मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव विवादित आराजी स्थित ग्राम दलेल का पुरा तहसील राजाखेड़ा का निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि – आराजी खसरा न0 863 रकवा 0.2529 किस्म बा.प्र., 864 रकवा 0.1518 किस्म बा.प्र., 950 रकवा 0.2403 किस्म बा.प्र., 1556/870 रकवा 0.1770 किस्म बा.प्र., 946/1 रकवा 0.1687 किस्म क.दो., 935/1 रकवा 0.1432 किस्म क.दो. दिशा उत्तर कुल किता 6 कुल रकवा 1.1339 कल्यानसिंह पुत्र पंचमसिंह जाति राजपूत सा. देह के कब्जे व हिस्से में रहेगी। आराजी ख.न. 935/2 रकवा 0.0212 किस्म क.दो. दिशा दक्षिण, 871 रकवा 0.4426 किस्म क.दो., 1518/1548 रकवा 0.0253 गै.मु.बाडा कुल किता 3 कुल रकवा 0.4891 धारा पत्नी कल्यानसिंह जाति राजपूत सा. देह के हिस्से व कब्जे में रहेगी। ख.न. 933 रकवा 0.1770 किस्म क.दो., 934 रकवा 0.1770 किस्म क.दो., 948 रकवा 0.2909 किस्म बा.प्र. कुल किता 3 कुल रकवा 0.6449 विजेन्द्रसिंह पुत्र हरफूल जाति गडरिया सा. देह के हिस्से व कब्जे में रहेगी। ख.न. 865 रकवा 0.2656 किस्म बा.प्र., 949 रकवा 0.1518 किस्म बा.प्र., 947 रकवा 0.1265 किस्म क.दो., 951 रकवा 0.1012 किस्म बा.प्र., 856 रकवा 0.2023 किस्म बा.प्र., 857/2 रकवा 0.0169 किस्म बा.प्र., 946/2 रकवा 0.0716 किस्म क.दो. कुल किता 7 कुल रकवा 0.9359 भूरीसिंह पुत्र पंचम सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। ख.न. 857/1 रकवा 0.1981 किस्म बा.प्र. कुल किता 1 कुल रकवा 0.1981 उर्मिला पत्नी रामनिवास जाति राजपूत सा.देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगें। फायनल डिक्री नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा